Indian J. Soc. & Pol. 09 (02) : 95-98: 2022 **ISSN : 2348-0084 (PRINT)**
First Published Online 31 JULY 2022 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

कोविड–19 महामारी के दौर में पुलिस की भूमिका

कविता पाण्डेय[1], पंकज कुमार[2]

[1]शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0,भारत
[2]प्रोफेसर एवम् अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0,भारत

ABSTRACT

वर्तमान समय में विश्व सर्वव्यापी महामारी कोविड–19 के चपेट में है। दुनिया के साथ भारत के लिए भी यह महामारी एक बड़ी चुनौंती के रूप में सामने आयी। इस समय देश में सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति है। इस तरह की आपातकालीन एवं जटिल परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए अलग–अलग स्तर पर बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ नये–नये मापदण्ड भी तय करने पड़ते है। आपदा की इस घड़ी में कानून–व्यवस्था बनाये रखना पुलिस प्रबन धन का महत्वपूर्ण कार्य है परन्तु इसके साथ ही पुलिस बल पर एक अपरिभाषित एवं अज्ञात शत्रु से समाज को बचाने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है। इस दौरान पुलिस का प्रदर्शन और व्यवहार अत्यन्त मायने रखता है क्योंकि इसका प्रभाव पुलिस और समाज के मध्य सम्बन्धों पर पड़ता है। एक कुशल पुलिस बल जब उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही से अपने कर्तव्यों का पालन करती है तो नागरिको मे पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है जबकि अकुशल पुलिस प्रशासन लोगों के विश्वास तथा पुलिस पर निर्भरता को कम करता है। लॉकडाउन के दौरान हमने सोशल मीडिया पर वायरल अनेक वीडियो देखे जिसमे हमें पुलिस की मानवीयता एवं अमानवीयता दोनों पक्ष देखने को मिले। आपातकालीन स्थिति में पुलिस बल आवश्यक सेवाओं में से एक सेवा है जिस पर कार्य तथा उत्तरदायित्व निश्चित रूप से ज्यादा होता हैं। ऐसे समय में पुलिस से उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि वे मानवता की सर्वोच्च सेवा यहाँ हम किसी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में पुलिस की भूमिका का परीक्षण करेंगें।

KEYWORDS: *आपदा, कोविड, आपदा प्रबंधन, पुलिस*

लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रबन्धन

30 जनवरी 2020 को भारत में कोविड–19 का पहला केस दर्ज किया गया। पुलिस बल डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वाथ्यकार्मियों के साथ इस सर्वव्यापी महामारी पर सबसे पहले सेवा देने पहुँचे जिन्हें 'कोरोना योद्धा' भी नाम दिया गया। शुरूआत में महामारी के सम्बन्ध में कम जानकारी के कारण घबराहट और अफरा–तफरी की स्थिति थी इसी दौरान 24 मार्च 2020 को पहली बार 21 दिन के लिए पूरे देश मे लॉकडाउन लगाया गया। पुलिस बल पर कानून– व्यवस्था के साथ समाज सेवा की भी जिम्मेंदारी थी। सोशल–डिस्टेसिंग का पालन करवाना, संकट में पड़े लाखो लोगो की मदद करना, स्थायी प्रवासियों के भोजन का प्रबन्धन तथा उनके प्रति हिंसा को रोकना, महिला एवं बाल अधिकारों के उल्लंघन की सूचना पर सतर्क रहना, धारा–144 लागू करना, किसी इलाके को सील करना, घर पर रहने तथा मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना, स्वास्थ्य आपातकाल की परिस्थिति में संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेशन तथा क्वारंटीन में डालने के लिए चिकित्सा कर्मियों की सहायता करना, अस्पताल व अन्य चिकित्सीय संस्थानो के सामने उत्पन्न कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना इत्यादि पुलिस बल ने अपनी इन जिम्मेंदारियों का पालन बखूबी किया।लॉकडाउन का दृढ़ता से पालन करने तथा समाज के प्रति सहानुभूति के लिए पुलिस का कार्य सराहनीय योग्य है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन सेवाओं मे सहायता–

सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक आसाधारण घटना की औपचारिक घोषणा है जो रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकते है और इस चुनौती से निपटने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। कोरोना वायरस एक तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। इससे बचने का एकमात्र उपाय घर में रहकर अपनी सुरक्षा एवं बचाव करना है। इस दौरान पुलिस बल का कार्य जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, चिकित्सा कर्मियों की सहायता करना, संक्रमित इलाके को सील करना, मेडिकल उत्पादों की जमाखोरी रोकना, स्थानीय स्तर पर जनता तथा पुलिसकर्मियों के मध्य संवाद स्थापित करवाना इत्यादि है।

पुलिस का कार्य 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम' तथा 'महामारी रोग अधिनियम' के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति का प्रबंधन करना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कारणों से आवश्यक ऐसे सभी उपाय करने है, जिससे समाज सुरक्षित हो सके। प्रतिबंधात्मक उपायों के साथ स्वास्थ्य अधिकारियों को निरोध केन्द्रो पर उपजी भीड़ को नियंत्रित करना होता है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित न हो।

प्रवासी श्रमिकों एवं वंचित तबकों की सहायता

स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में कानून–व्यवस्था प्रबंधन के साथ पुलिस बल पर समाज सेवा की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। भारत में पुलिस परंपरागत औपनिवेशिक

1: Corresponding Author

व्यवस्था से प्रभावित रही है, जब भी कभी पुलिस को 'नियंत्रक' की भूमिका निभानी होती है, पुलिस का नकारात्मक एवं निरंकुश दृष्टिकोण सामनें आता है। पुलिस का हिंसक बर्ताव जगजाहिर है। कोरोना के इस दौर में भी सोशल मीडिया पर पुलिस की बदसुलूकी के दर्जनों वीडियो वायरल हुए जिसमें पुलिस लॉकडाउन मे घर से बाहर निकलने या मास्क न पहनने पर लाठी चार्ज करती दिख रही है, किन्तु इसी दौरान पुलिस का 'मानवीय चेहरा' चर्चा का विषय बना। पुलिस बल अपनी जान की परवाह किए बिना दिन–रात लोगों की सेवा में जुटे है, तो पुलिस की ऐसी मानवीय प्रतिक्रिया निश्चित ही प्रशंसनीय है।

पुलिसकर्मी लॉकडाउन की स्थिति में लाखों लोगों की सहायता में जुटी हुयी थी। प्रवासी श्रमिक इस दौरान सर्वाधिक प्रभावित हुए अनियोजित लॉकडाउन ने ऐसे लाखों लोगों के जीवन मे आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न कर दी जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते है। रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार भारत के कुल कार्यबल का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र मे कार्यरत है इनमें से अनेक अपने घर से दूर प्रवासी श्रमिक के रूप में कार्य करते है। पुलिस ने ऐसे लोगों के लिए राशन, परिवहन तथा अतंर्राष्ट्रीय पास की व्यवस्था की। पुलिस के द्वारा 'नियंत्रक' की भूमिका को पीछे छोड़कर 'सहायक' की भूमिका निभाना निश्चित ही उल्लेखनीय है।

राजस्थान पुलिस बल 'भीलवाड़ा मॉडल' चर्चा का विषय बना जहॉ 'महाकर्फ्यू' के द्वारा कोविड पर नियंत्रण प्राप्त किया गया। हर प्रकार से सख्त तालाबन्दी के साथ पुलिस बल ने नगरपालिका के सहयोग एवं समन्वय से नागरिकों को दैनिक मूलभूत वस्तुएँ प्रदान करावायी। इस प्रकार की 'जनता सेवा' पुलिस बल मे जनता का विश्वास बढ़ाती है। इन्दौर मे पुलिस बल के द्वारा महिला सुरक्षा ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत महिला स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से घर–घर तक अनाज एवम् दवाइयाँ पहुँचायी गयी तथा कोविड–19 के प्रति जागरूकता का प्रचार–प्रसार किया गया। उज्जैन पुलिस के द्वारा महाकाल मन्दिर में मालिन बस्तियों तथा अप्रवासियों के लिए भोजन वितरण का प्रबन्धन किया गया। केरल पुलिस प्रशासन का कार्य अत्यंत चर्चा में रहा। केरल मे कोविड–19 पर कम समय में नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया था। केरल पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर जागरूकता से सम्बन्धित विभिन्न वीडियोज पोस्ट किए गए। केरल के केसरगोड़ जिले की स्थानीय पुलिस की 'ट्रिपल लॉक' स्ट्रेटजी भी चर्चा का विषय बनी। यह प्रौद्योगिकी आधारित व्यावसायिक पुलिस तरकीबों एवं रचनात्मक पर आधारित थी। कोविड–19 महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन के दौरान कुल 1,14,30,968 प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्य की ओर लौटे थे। कोविड की दूसरी लहर के दौरान भी पहले चार हफ्तों में आठ लाख से अधिक प्रवासी कामगार केवल दिल्ली छोड़कर गए थे। यह ऑकड़े बताते है कि कोविड–19 के कारण भारत के समक्ष सामाजिक, आर्थिक और मानवाधिकार के संकट खड़े हो गए है। इस जटिल स्थिति में पुलिस बल द्वारा अपने स्तर पर श्रमिकों, प्रवासियों की सहायता की गयी बेहद असुरक्षित स्थिति में भी पुलिस बल के द्वारा फ्रंटलाइन वारियर्स के रूप में जनता की सेवा की गयी। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ) के पुलिस महानिदेशक श्री एसएन प्रधान के अनुसार, ''मानवाधिकार शासन का एक मुद्दा है कि हर नागरिक को आपदाओं से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है ये सामाजिक नीति है आमतौर पर नीतियों को अपराध की रोकथाम औंर कानून–व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ मे देखा जाता है, लेकिन हमें समझ आ रहा है कि ये इससे कही अधिंक है हमने कोविड–19 के प्रति अपनी मानवीय प्रतिक्रिया के जरिए पुलिस बल मे जनता का विश्वास बनाया है।''

महामारी के दौरान कार्य करने का जोखिम तथा रूटीन कार्यों का विस्तार

इंडियन पुलिस फाउण्डेशन संस्था के 11 मई 2021 के एक ट्वीट के अनुसार, फरवरी 2021 तक लगभग 2,79,071 पुलिसकर्मी (राज्य पुलिस सीआरपीएफ सहित) संक्रमित हो चुके है, तथा 1745 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गँवानी पड़ी। यह ऑकड़े बताते है, कि फ्रंटलाइन वारियर्स के रूप में लड़ रह पुलिसकर्मी कई मामलों मे असुरक्षित भी है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव से पुलिस की दिनचर्या में बदलाव आया है, उन पर रूटीन कार्यों के अनुपालन के साथ ही अतिरिक्त कार्यों का भी बोझ है। यदि कोई अपराधी है, तो उसे अपने स्तर पर सेनेटाइज करना, मेडिकल चेकअप करवाकर फिर लॉकडाउन में डालना यदि उसे क्वारंटीन करना हो तो उस पर नजर बनाए रखना यह सब काम पुलिस को ही करना है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को खतरा बढ़ने से जनता के साथ पुलिस का संपर्क बढ़ गया है पुलिस को चिकित्सा केंन्द्रो पर डयूटी देनी है जहाँ पुलिस का कार्य सबसे ज्यादा जोखिम भरा है, सभी पुलिसकर्मियो के पास सुरक्षात्मक वस्त्र जैसे पी.पी.ई किट इत्यादि उपलब्ध हो ऐसा आवश्यक नही है जिससे उनके संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। कोरोना के संकट के इस दौर में चिंता का एक क्षेत्र शवों का उचित अंतिम संस्कार कराना है। कोरोना की दूसरी लहर में यह बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। शवदाहों की सीमित क्षमता के कारण लावारिश शवों का उचित विधि विधान से अंतिम संस्कार करना यह सभी कार्य पुलिस बल को करना होता है। एक पुलिस ऑफिसर राकेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा आ गए जब कोरोना की द्वितीय भयानक लहर के दौरान वह 1300 से भी अधिक अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी का पालन कर रहे थे। ऐसे लोग ही हमारे समाज के सच्चे नायक है। पुलिस की ऐसी मानवीय सेवा हमें आत्म–विभोर कर देती है।

नकारात्मक पक्ष–

अपर्याप्त स्टॉफ तथा संसाधनों की सीमित उपलब्धता

पुलिस बलों की प्राथमिक भूमिका कानूनों को बनाए रखना और लागू करना, अपराधों की जाँच करना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में इसके लिए पर्याप्त सुरक्षाकर्मियों, हथियारों, प्रौद्योगिकी, फोरेंसिक, संचार और परिवहन सम्बन्धित संसाधनों की आवश्यकता है, परन्तु भारत में पुलिस बल पर भारी बोझ है। जनवरी 2016 में राज्य

पुलिस बलों में 24 प्रतिशत रिक्तियाँ (लगभग 5ण्5 लाख रिक्तियाँ) थी। इसलिए 2016 में स्वीकृत पुलिस बल संख्या 181 प्रति लाख व्यक्ति थी, जबकि यह संख्या केवल 137 पुलिस थी। यह भी ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित मानक प्रति लाख व्यक्ति पर 222 पुलिस है। सीएजी ऑडिट में राज्य पुलिस बलों के पास हथियारो की कमी पायी गयी। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरों ने राज्य बलों के पास आवश्यक वाहनों के स्टॉक मे 30ण्5 प्रतिशत की कमी का उल्लेख किया है। पुलिसकर्मियों को सही समय पर वेतन न मिलना भी अखरता है, इससे पुलिसकर्मियों के आत्मविश्वास में कमी आती है। उल्लेखनीय है, कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिसकर्मियों का अनुपात 195 है जो कि भारत के पुलिस बल को दुनिया के कमजोर पुलिस बलों मे एक बनाती है।

महामारी जैसी स्थिति के लिए अप्रशिक्षित पुलिस

कोविड–19 के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए जब लॉकडाउन लगाया तो पुलिस के पास न ही कोई मानक संचालन प्रक्रिया थी न ही कोई मानक नियम तथापि भारतीय पुलिस बल ने इस आसाधारण स्थिति को बड़ी बहादुरी से सँभाला तथा अपने नियमित कर्त्तव्यों के साथ समाज सेवा में भी अपना योगदान दिया। किन्तु महामारी जैसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को अधिक प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। सामान्यतः पुलिस प्रशिक्षण 'कठोर' कौशल पर आधारित होता है जिसमें हथियार उपयोग, अपराध नियंत्रण,युद्ध–कौशल और भीड़–नियंत्रण पर जोर दिया जाता है, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके किन्तु महामारी के दौरान पुलिस बल में प्रशिक्षण की ''सॉफ्ट स्किल्स''[10] की आवश्यकता को महसूस किया गया है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान प्रभावी संचार और समन्वय सीखना साथ ही पुलिस–समुदाय संचार सुनिश्चित हो इसके लिए 'सामुदायिक पुलिसिंग' पर जोर देना चाहिए।

पुलिस एजेंसियो के मध्य आंतरिक सहयोग एवं अन्य एजेंसियो के साथ समन्वय मे कमी

लॉकडाउन के दौरान पुलिस एजेंसियों के मध्य सहयोग में कमी देखी गयी। पुलिस एजेंसियो की योजना एवं तैयारी विधिवत् तरीके से नहीं हो सकी। इसलिए जहाँ–तहाँ अफरातफरी की स्थिति बन गयी। इसी प्रकार पुलिस बल को अन्य एजेंसियों जैसे–स्वास्थ्य एजेंसी और अन्य आपात स्थिति सम्बन्धित एजेंसियों जैसे बिजली, पानी या संचार सम्बन्धित एजेंसियों के साथ कार्य करने का कोई अनुभव नहीं था जिससे अधिकार, क्षेत्र तथा जबावदेही को लेकर समस्याएँ उत्पन्न हुयी।

पुलिसिंग की रूटीन एवम् परंपरागत सोच

वर्तमान पुलिस व्यवस्था औपनिवेशिक काल की देन है, अधिकतर पुलिस सम्बन्धी नियम–कानून तभी से अनवरत लागू है समय–समय पर विविध पुलिस सुधार सम्बन्धित समितियॉ बनी यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा–निर्देशों के बावजूद भी पुलिस व्यवस्था नहीं बदली जा सकी। पुलिस प्रशासन में बुनियादी और संगठनात्मक सुधार की आवश्यकता है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस कदाचार के कई गंभीर मामले सामने आए वो चिंताजनक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने पुलिस कदाचार के लिए एक स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण की आवश्यकता पर बल दिया था। पुलिस व्यवस्था में पदोन्नति और काम करने की स्थिति अत्यंत खराब है जिससे सुरक्षाकर्मी इस व्यवस्था में रफ–टफ बनकर रह जाते है उन्हें अपनी रचनात्मकता और फैशन दिखाने का अवसर नहीं मिलता वरिष्ठ अधिकारियों के मातहत मशीन की तरह काम करना मजबूरी बन जाती है। पुलिसिंग की रफ सोच के कारण पुलिस–जनसंपर्क असंतोष की स्थिति में है। सामान्यतः लोग पुलिस को भ्रष्ट, अक्षम, पक्षपाती, हिंसक तथा अनुत्तरदायी मानकर चलते है। पुलिसिंग की ऐसी रूटीन और परंपरागत सोच को बदलने की आवश्यकता है।

सुझाव

- लॉकडाउन जैसी स्थिति से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका 'सामुदायिक पुलिसिंग' मॉडल है इसमें पुलिस को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा स्थानीय संघर्षो को कम करने के लिए पुलिस–जनसंपर्क के सिद्धान्त पर काम करना होता है। इससे लोगो मे सुरक्षा की भावना का विकास होता है। ''जनमैत्री सुरक्षा परियोजना'' के माध्यम से केरल, ''संयुक्त गश्ती समितियों'' के माध्यम से राजस्थान, ''सामुदायिक पुलिस परियोजना'' के द्धारा पश्चिम बंगाल, 'मैत्री' नाम से आन्ध्र प्रदेश तथा ''मोहल्ला समितियों'' के माध्यम से महाराष्ट्र सामुदायिक पुलिसिंग पर प्रयोग कर रहे है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाया जाना चाहिए जिसमें महामारी जैसे विषयों से निपटने के लिए स्पष्ट एवं प्रभावी नियम हो।
- पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम मे चिकित्सा आपात स्थिति और पुलिस प्रतिक्रिया को शामिल करना चाहिए जिससे पुलिसिंग की ''सॉफ्ट स्किल्स'' को बढ़ावा मिले। पुलिस बलों की रिक्तियों को जल्द भरना चाहिए तथा स्थानीय सुरक्षाकर्मियो को अधिक प्रशिक्षित और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। पुलिसकर्मियो के मनमाने तबादलों और पोस्टिंग से बचना चाहिए तथा सेवा के न्यूनतम कार्यकाल की गारंटी मिलनी चाहिए।
- पुलिस बल को आधुनिक प्रौद्यौगिकी का स्ट्रेटजिक प्रयोग करना सीखना होगा। जैसे सोशल मीडिया के ज्यादा से ज्यादा सफल प्रयोग से अनेक समस्याओं का समाधान संम्भव है।
- पुलिसकर्मियो पर काम के दबाव व अत्याधिक बोझ को कम करने की आवश्यकता है ताकि वे सुखद मनोभाव से समाज की सेवा कर सके साथ ही पुलिस के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धित विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए।

- पुलिस सुधार हेतु प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ केस (1996) के तहत 2006 मे दिए गए सुप्रीम कोर्ट के दिशा–निर्देशों को निर्धारित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

बायोकॉन समूह की प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ कहती है, कि ''मानवता के लिए कोविड–19 के इस समय का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम सब इस कठिन वक्त में एक साथ है'' निश्चित रूप से कोविड–19 में मानवीयता के नये–नये आयाम देखने को मिले जिसमें पुलिस बल का कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। कोविड–19 जैसी आपदा में पुलिसकर्मियों का अपनी जान–जोखिम में डालकर लाखों लोगो की निःस्वार्थ सेवा करना वर्तमान समय की सर्वाधिक सराहनीय घटना है। प्रसिद्ध रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी कहती थी कि ''जीवन में किसी भी चीज से डरने की नही, समझने की जरूरत है यह समय और अधिक समझने का है, ताकि हम कम डर सकें।'' कोविड–19 के इस कठिन समय में हमें डरने की नही पर्याप्त सुरक्षा एवं बचाव करके अपने जीवन को बचाना है तथा दूसरो को भी कोविड–19 से बचाव हेतु जागरूक तथा सजग बनाना है।

NOTES

REFERENCES

लोक व्यवस्था'', द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 2007

https://b4p25xr2sku6aw5tofuwvypkxe-achv5f5yelsuduq-www-livemint-com.translate.goog/news/india/india-s-police-force-among-the-world-s-weakest/amp-1560925355383.html

https://hindi.theprint.in/opinion/in-the-era-of-coronaviruses-in-india-how-did-dambang-police-become-dear-to-every-heart/129962/?amp

https://www.google.com/amp/s/blog.ipleaders.in/police-discretion-role-covid-19-pandemic/amp/

https://www.google.com/amp/s/www.orfonline.org/hindi/research/how-can-we-build-a-better-world-after-covid-19/

https://www.google.com/amp/s/www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/how-policing-works-in-india-in-covid-19-times/article31729922.ece/amp/

Lauf Julian(2020),"Policing in pandemic :A systematic review and best practices for police response to Covid-19"*International journal of disaster risk reduction,*researchgate,London.

Stogner John, Miller Lee Bryon, Mclean Kyb(2020): "Police Stress, Mental health and Resiliency during the Covid-19 pandemic",*American Journal of Criminal Justice*.

Torigion Matthew,(2020): "Police leadership during a pandemic",*Journal of community safty and self-being.*

www.who.org